न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

FORM No. IH

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ________________ मुकाम ________________

मनोज ________ बनाम ________ कस्तूरी

किस्म मुकदमा 19/24 (225) नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/11/24	वकील अपीलान उपने सीरस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपील SUBJECT TO LIMITATION दर्ज रजिस्टर की जावे। वकील अपीलान ने एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया। सुना गया। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। चूंकि अपीलान अधी० न्याया० में पक्षकार मुकदमा नहीं थे। अतः अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं होना स्वाभाविक है। अतः मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुए जानकारी की दिनांक से अपील अपीलान अंदर मियाद शुमार की जाती है। अधी० न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश एक अंतरिम आदेश है एवं अपीलान अधी० न्यायालय में पक्षकार मुकदमा भी नहीं है। विधि अनुसार अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपील सामान्यतः संधारणीय नहीं होती है। अपीलान के पास समुचित अवसर था कि वह अधी० न्यायालय में ही अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध चाराजोई करते। इस अवसर का उपयोग किये बिना अपील में आना उचित नहीं है। वादकरण की बहुलता यथा संभव टालने योग्य है। उपरोक्त विवेचनानुसार	भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधि...

चूंकि अपीलार्थी अधी० न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं है। अतः वह अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा बनकर अधीनस्थ न्याया० के अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलार्थी संधारणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज योग्य है। पत्रा० फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे, बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/11/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

राजस्व अ[illegible] अधिकारी
भरतपुर [illegible] धौलपुर